


23/5/24

पशावली काफ पेशी में ली गई। तबकी
अभियान व राजस्व न्यायालय शीघ्र
निहताद प्रकरण की पासना में
पशावली का अवलोकन किया। काद पत्र
9/10/2015 से संबंधित है। काद पत्र स्लैव
की ओर ले द्वारा 86 रि.म में 20 न्यायालय
में कार्य किया जिसके अड्डेदार एक
नामों में CAD विभाग काप लावा
निर्माद किया जा रहा था।  के पर
हीमाबाद के वॉचिंग रिपोर्ट व बहारी

क्षीमा में अंतर पाया गया। जिसके लाला
निर्माण कार्य बंद किया व दो पक्षों
में विवाद की है। गाँव पर 32 एर
फेस थे जो काटे गये थे जवनी राफ
कर फिर गाँव कुछ अन्य 60 पेडी का
काटकर बेचान कर दिया गया। तत्कालीन
सेना वन विभाग द्वारा कार्यवाही के
वृत्तिका किया गया कि उक्त कारे गये
पेड. डी.ए.ए.ए.ए. के वन विभाग नहीं
है पेड. काटने वाले कृषकों के गाँव का
अंकन किया है। 1. हरचंद वरुण लोखलाल
बाली निवासी नूरपुर 2. बलवंत गोरख
जाति जाट निवासी नूरपुर 3. राजेन्द्र
श्री 0 जयप्रकाश जाति जाट नूरपुर 4. कानाराज
वरुण श्रीमाला जाति जाट नूरपुर 5.
संभवतः राफ वरुण सहायन जाति जाट
निवासी नूरपुर के गाँव का अंकन तत्कालीन
टुमाराज ने बादपत्र में किया है।
वाड पत्र इतने लम्बे हैं संकित हैं जबकि
तत्कालीन टुमाराज द्वारा वाड कोपिल
करने के अंशत वाड पत्र में जरिए
सैरि पेथ हुए या नहीं कोई दस्तावेज
पेथ किए। सन. 2015 के कारे गये 32
पेड. व जवत किए पेडी की सर्वेक्षण
नियामी करवाई जाये व नियामी
राशि को जमा राफ कोष कर्षाव जाये।
लगभग 60 पेडी के बेचान की वतूली
पेड. काटने वाले के निपटारा लाल की
जाये। तत्कालीन टुमाराज उक्त आदेशानुसार
अनुपपन्न चपड़े, पशुपती आदेश (उक्त
पत्र पत्र कोपिल हस्त ले) (Signature)